



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ13008

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura Industrial Area  
अजमेर-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)  
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

संख्या : RAJ/JPR-115/LST-3/Vol-II

दिनांक : 26/7/21

प्रेषित : श्री मनोहर लाल लाहोटी, एजेंट,  
मोहनपुरा-जोधपुरा चूना पत्थर खान,  
मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-मोहनपुरा जोधपुरा,  
तहसील-कोटपूतली, जिला-जयपुर (राजस्थान) 303 108  
Email- Manoharlal.lahoti@adityabirla.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Mohanpura Jodhpura Limestone Mine** (M.L. No. 03/03, Lease area 548.78 Hect.) in Jaipur District of Rajasthan State.  
महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 01.07.2021 & 02.07.2021 by the undersigned in presence of Shri Manohar Lal Lahoti, Agent Mines.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modification of the Mining Plan (Approved on 17.09.2020): - 1. During the year 2020-21, total 7 boreholes (700m) were proposed in approved Modification of the Mining Plan, but no exploration has been carried out against this proposal. 2. During the year 2020-21, retaining wall of 500m was proposed in approved Modification of the Mining Plan, but no retaining wall has been made against this proposal. 3. During the year 2020-21, Plantation has not been carried out on proposed location.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती हैं।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

बी. एल. कोटडीवाला  
26/7/21

बी. एल. कोटडीवाला  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर(ई-मेल द्वारा)।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, कोटपूतली जिला -जयपुर, राजस्थान।
- 4 रक्षित पत्रावली।

बी. एल. कोटडीवाला  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो